



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ : Plexh/Cir/487

दिनांक : 01-10-2026

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्यों/सीओए सदस्यों को

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: परिधान/ परिधान और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी योजना की छूट का विस्तार (आरओएससीटीएल)

हम यह सूचित करना चाहते हैं कि कपड़ा मंत्रालय ने परिधान/ परिधान और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना की छूट के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, आरओएससीटीएल योजना को **01 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक** 3 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

योजना का यह विस्तार उसी दायरे, संरचना, प्रकृति, कवरेज, लागत मानदंडों और अन्य नियमों और शर्तों के साथ जारी रहेगा जो 30.09.2026 को लागू थे योजना के अंतर्गत अधिसूचित सभी वस्तुओं के लिए प्रचलित दरें तथा अधिकतम सीमा तब तक अपरिवर्तित रहेगी जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए। राजस्व विभाग द्वारा यह योजना हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने के लिए एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के साथ कार्यान्वित की जाएगी, जिसे सीमा शुल्क प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक लेजर में बनाए रखा जाएगा। आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप निर्यात आय की प्राप्ति पर जोर दिए बिना जारी की जाएगी। यह अधिसूचना **1 अक्टूबर, 2026** से लागू होगी।

संलग्न अधिसूचनाएं: एफ.सं. 12015/12/2026-टीटीपी(भाग 1) दिनांक 30 सितंबर, 2026: https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202610_01121359.pdf सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त विस्तार और ऊपर बताई गई शर्तों पर आरओएससीटीएल योजना को जारी रखने पर ध्यान दें। यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,
भारती परावे
उप निदेशक (व्यापार और नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल